संख्या 00646/2021-2022

दिनांक 14/07/2021



सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र

(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

नवीनीकरण संख्या:R/GHA/04587 /2021-2022

पत्रावली संख्या:55374-M दिनांक:2011-2012

एतददवारा प्रमाणित किया जाता है कि एस॰जे॰एस०एम० शिक्षा समिति, 422-सी, शालीमार गार्डन एक्सटॅशन-1, साहिबाबाद, जिला गाजियाबाद, गाजियाबाद, 201005 को दिये गये रजिस्टीकरण प्रमाण-पत्र संख्या- 234 दिनांक-31/05/2011 को दिनांक-31/05/2021 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है | 1000 रूपये की नवीनीकरण फ़ीस सम्यक रूप से प्राप्त हो गयी है |



Digitally Signed By (DILEEP KUMAR GUPTA) 413BB3E4C4EA599134784B928CFEFC03BD7C25C5

Date: 14/07/2021 12:54:32 PM, Location: Meerut.

जारी करने का दिनांक-14/07/2021

सोसाइटी के रजिस्टार, उत्तर प्रदेश।

संस्था का नाम 1.

: एस.जे. एस. एम शिक्षा समिति.

2. संस्था का पता 422-सी, शालीमार गार्डन, एक्सटेन्शन-1,

साहिबाबाद जिला गाजियाबाद उ०प्र0

संस्था का कार्यक्षेत्र

उत्तर प्रदेश रहेगा।

संस्था के उददेश्य

निम्नानुसार हैं :-

संस्था का मुख्य उद्देश्य समाज के सभी वर्ग के उपेक्षित एवं गरीब और आर्थिक स्तर खर कमजोर, बेसहारा वर्ग के विकासोन्मुख हेतु हर सम्भव प्रयास करना है। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के निर्बल वर्ग के उत्थान हेतु विशेष रूप से कार्य करेगी।

है प्रथमिक स्तर से लेकर स्नातकोत्तर स्तर की निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु स्कूल,

गिलिजो कम्यूटर शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर संचालन करना।

विष्ण की प्रदूषण रहित बनाने हेतु जनता को जागरूक करने के उपाय सुझाना एंव

कारों निःशुल्क कार्यक्रम आदि का संचालन करना।

- समाज में परिवार कल्याण को जानकारी देना कुष्ठ तथा अपाहिज एवं सकांमक एड्स, टी०बी० रोगों से ग्रस्त निःसहाय लोगों को चिकित्सा एवं शोद्य की पूर्ण व्यवस्था करना।
- महिलाओं को आत्म निर्भर एंव स्वावलंबी बनाने हेतु निःशुल्क सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, कुल्टिंग, ब्यूटिशियन, डांस, पेन्टिंग, संगीत, कम्प्यूटर आदि का प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित कर प्रशिक्षण देना।
- पर्यावरण संरक्षण हेतु (जल,वायु, पेड़-पौधे, पशु-पक्षी) एवं प्राकृतिक आपदा और स्वास्थ्य सम्बन्धी क्षेत्र आदि में शोध कार्य करना।

1 Ar Sport

4 salle

फर्न्स, सोसायष्टीज तथा चिट्स

- 7. पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण, परिवार कल्याण, परिवार नियोजन, वृक्षारोपण, मृदा सरंक्षण, भूमि सुधार, पशु-पक्षी संरक्षण एवं उनकी स्वास्थ्य सम्बन्धी देखभाल करना।
- वैकल्पिक उर्जा के विकास के लिये प्रयास करना तथा संस्थाओं द्वारा चलाये जा रहे सम्बन्धित कार्यक्रमों में सहयोग करना।
- ग्रामीण तथा शहरी स्वच्छता, शुद्ध पेयजल एवं भूमि प्रबन्धन कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार व संचालन करना।

प्रमाज के विकास हेतु विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों जैसे (बाल मजदूरी, नशीले पदार्थ एंव शराब दहेज आदि को रोकने का प्रयास करना।

लित कल से सम्बन्धी सृजनात्मक कार्य को सुचारू गति प्रदान करने हेतु स्वतंत्र कार्यशाला मूर्तिकला, चित्रकला, ग्राफिक्स, भित्ती-चित्र आदि के निर्माण के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण देना।

12. समय-समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम, सम्मेलन, गोश्ठियों, वाद-विवाद प्रतियोगिताओं आदि का निःशुल्क आयोजन करना।

दिनांक :-.2010

1. The Inself yesters I Naninder

o Mukeik

सत्य प्रतिनिप फर्म, सोसायटीज तथा चिर

5. प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के नाम, पिता / पित का नाम पता, पद, व्यवसाय जिनको संस्था के स्मृति पत्र व नियमावली के अनुसार संस्था का कार्यभार सौपा

कम सं.	नाम	पिता / पति का नाम	पता :	पद	व्यवसाय
1.	श्री इन्द्रवीर सिंह		422—सी, शालीमार गार्डन, एक्स0—1, साहिबाबाद गाजियाबाद	अध्यक्ष	समाजसेवी
2.•	श्री योगेन्द्र सिंह	श्री हरपाल सिंह	53, गांगनौली, जिला बागपत	उपाध्यक्ष	कृषि
3.	श्रीमती प्रिया	पत्नी श्री ब्रजवीर सिंह	लक्ष्मण विहार, मु०नगर	सचिव	नौकरी
4.	श्री धीरेन्द्र सिंह	श्री नयन सिंह	162, नगेला कबीर-2, मुक्तगर	उपसचिव	कृषि
5.	श्री नरेन्द्र सिह	श्री बुद्धप्रकाश 🔓	म0न0-6043 ग्रीम ताजपुर, जिला बिजनौर	कोषाध्यक्ष	व्यापार
6.	श्री मुकेश	श्री सतपाल सिंह	43, ग्राम सिकन्दरपुर, जिला मु0नगर	सदस्य	कृषि
7.	श्री नरेन्द्र सिंह	श्री रूपचन्द	810, मोरना गाँव, नोएडा जिला गौतमबुद्वनगर।	सदस्य	व्यापार

6. हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता घोषित करते है, कि इस स्मृति पत्र व नियमावली के अनुसार सो0 रिज0 एक्ट 1860 के अर्न्तगत एक समिति का गठन किया है। दिनाँक : 🗝 🖒

1 = Whingh 4 - 4 - 2 April

7. Narmder

5 They 84h

8 Mukesh

कार्यालय डिप्टा राजिस्टार

फर्स, सोसायहील तथा चिट्स मेनव

1. संस्था का नाम

: एस.जे. एस. एम. शिक्षा समिति,

2. संस्था का पता

: 422—सी, शालीमार गार्डन, एक्सटेन्शन—1, साहिबाबाद जिला

गाजियाबाद उ०प्र0

3. संस्था का कार्यक्षेत्र

ः उत्तर प्रदेश रहेगा।

4. संस्था का उद्वेश्य

ः संस्था के उद्वेश्य स्मृति—पत्र के अनुसार रहेगें।

5. संस्था की सदस्यता एंव सदस्यो के वर्ग :--

क- सदस्यता:-

जो सज्जन 18 वर्ष से अधिक आयु का हो, नैतिक आचरण वाला हो, दिवालिया न हो, पागल न हो, कोढी न हो, सर्वोदय विचार वाला हो, संस्था के उददश्यों के प्रति पूर्ण निष्ठा रखता हो, संस्था का सदस्य बन सकता है।

ख- सदस्यों के वर्ग:-

अ. आजीवन सदस्य-

जो सज्जन क्रमांक 5 (क) के अनुसार योग्यता रखते हुँवे उसने संसथा को एक मुश्त 1100/— रू० नकद या इससे अधिक सम्पत्ति दान स्वरूप देगा, आजीवन सदस्य कहलायेगा।

ब साधारण सदस्य-

जो सज्जन कमाक 5 (क) के अनुसार योग्यता रखते हुये उसने संस्था को एक मुश्त 500/- रू० नकद या इससे अधिक सम्पत्ति दान स्वरूप देगा, सामान्य सदस्य कहलायेगा।

अ- सहयोगी सदस्य-

जो सज्जन क्रमांक 5 (क) के अनुसार योग्यता रखते हुये उसने संस्था को एक मुश्त 251/— रू० नकद या इससे अधिक सम्पत्ति दान स्वरूप देगा, सहयोगी सदस्य कहलायेगा।

बरिष्ठ स्रेयक/अन्तेषक कार्यालम् डिप्टी राजिस्ट्रार

2 higg

द- मनोनीत सदस्य-

कोई भी व्यक्ति जो क्रमांक 5 (क) के अनुसार संस्था का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो तथा संस्था की प्रबन्धकारिणी समिति संस्था के हित में उसकी विशेष आवश्यकता महसूस करती हो, ऐसे किसी भी व्यक्ति को प्रबन्धकारिणी समिति 3 वर्ष की अवधि के लिये अपने तीन—चौथाई बहुमत से मनोनीत कर सकती है। ऐसे सदस्यों की संख्या एक समय में अधिक से अधिक चार होगी तथा ऐसे सदस्यों को प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यों के चुनाव में मताधिकार नहीं

6. सदस्यता की समाप्ति-

होगा।

- 1- सदस्य द्वारा स्वयं त्याग पत्र दिये जाने पर।
- 2- सदस्य की मृत्यू होने पर।
- 3- सदस्य की आयु 18 वर्ष से कम पाये जाने पर।
- 4- सदस्य द्वारा स्वयं संस्था विरोधी कार्य करते हुये पकडे जाने पर।
- 5- सदस्यता शुल्क समय पर न अदा करने पर।
- 6- न्यायालय द्वारा सजा दिये जाने पर अथवा दिवालिया होने पर।
- 7. सदस्य के किसी असामाजिक कृत्य में लिप्त पाये जाने पर।
- संस्था के अंग—
 क. साधारण सभा ख. प्रबधंकारिणी समिति
- साधारण सभा का विस्तृत रूपः
 - क-<u>गठन</u>:- संस्था के सभी प्रकार के सदस्यो को मिलाकर बनाया गया समूह साधारण सभा कहलायेगी।
 - ख-बैठक :- संस्था की साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में एक बार तथा विशेष बैठक कभी भी अध्यक्ष के द्वारा बुलाई जा सकती है।

वरिष्ट सहर्ष कार्यालय डिप्टी रिक्रस्ट्रार फर्म, सोरायटील तथा चिटस मेरव

- Byy

ग-सूचना :-

संस्था की सामान्य बैठक के लिए सूचना कम से कम 15 दिन पूर्व डाक तथा विशेष बैठक के लिये सूचना 24 दिन पूर्व डाक अथवा स्पेशल मैसेन्जर अथवा दस्ती अध्यक्ष के हस्ताक्षरित पत्र द्वारा दी जायेगी।

घ-कोरम :-

साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल सख्या का दो तिहाई होगा, कोरम के अभाव में स्थिगत की गयी बैठक की पाबन्दी न होगी, यदि उन्ही विषयो पर विचार होता हो।

-वार्षिक अधिवेशन :-

साधारण सभा का वार्षिक अधिवेशन वर्ष में एक बार हुआ करेगा, जिसकी तिथि प्रबन्धसमिति द्वारा निर्धारित की जायेगी।

च-साधारण सभा के अधिकार एंव कर्त्तव्य :--

- 1— संस्था के प्रबन्धकारिणी समिति का चुनाव करना।
- 2- आय-व्यय बजट पास करना।
- 3— नियमों—विनियमों में सशोधन परिर्वतन 2/3 बहुमत से करना।
- 4— संस्था की निति निर्धारित करना।

9. प्रबन्धकारिणी समिति :--

सत्य प्रतिलिपि

र्स, सोसायटीज तथा चिटस

क-गठन :- संस्था की प्रबन्धकारिणी समिति का गठन साधारण सभा अपने सदस्यों में से बहुमत द्वारा होगा, जिसमें कम से कम 7

एंव अधिकतम 11 होगी।

AND inch

2 John

2 Bigg

ख-बैठकः :-

साधारण सभा की सामान्य बैठक के लिए सूचना वर्ष में दो तथा विशेष बैठक कभी भी अध्यक्षं के निर्देशानुसार बुलाई जा सकती है।

ग-सूचना :-

साधारण सभा की सामान्य बैठक के लिये सूचना 7 दिन पूर्व डाक द्वारा तथा विशेष बैठक के लिये सूचना 24 घण्टे पूर्व स्पेशल मैसेन्जर दस्ती अध्यक्षं द्वारा दी जायेगी।

घ-कोरम :-

प्रबन्धकारिणी समिति का बैठक का कोरम तीन चौथाई होगा, कोरम के अभाव में स्थगित की गयी बैठक की पाबन्दी न होगी, यदि उन्ही विषयो पर विचार होता हो। गतन की तिथि से पांच वर्ष का होगां।

रक्त स्थान की पूर्ति:-

प्रबन्धंकारिणी समिति में आक्सिमक रिक्त पद होने पर उसकी पूर्ति शेष समय के लिये साधारण सभा अपने सदस्यों में से 2/3 बहुमत द्वारा की जायेगी।

छ-प्रबन्धकारिणी के अधिकार एवं कर्त्तव्य-

- संस्था के नियमों-विनियमों में सशोधन करना।
- संस्था का प्रबन्ध संचालन हेतु कर्मचारियो, अधिकारियो की नियुक्ति करना।
- आय-व्यय बजट तैयार कराना।
- अन्य वे समस्त कार्य जो संस्था की उन्नति में सहायक हो।

Lethory A Hear Marker y John

5— संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु दान, चन्दा, ऋण, अनुदान, भूमि, भवन, चल—अचल सम्पत्ति विभिन्न स्रोतों से प्राप्त करने हेतु कार्यवाही करना।

प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एंव कर्त्तव्य अध्यक्ष—

- समिति की आम तथा प्रबन्धकारिणी समिति की बैठको की अध्यक्षता करना।
- 2. समिति के उद्देश्यों की पूर्ति करना जिससे संस्था प्रगति की और अग्रसर हो।
- 3. सभाओ, कार्यक्रमो की दिनांक, समय निर्धारण करना।
- 4. संस्था के समस्त लेखो पर हस्ताक्षंर करना और प्रमाणित करना।
- 5. संस्था के उद्वेश्यों की पुर्ति हेतु दान—अनुदान, चन्दा, ऋण, चल—अचल सम्पत्ति प्राप्त करने हेतु सरकारी / गैर सरकारी कार्यालयों, विभागों, बैक आदि से सम्पर्क कर प्राप्त करना। संस्था के हित में कार्य करना।
- 6. संस्था के द्वारा संचालित, संस्थान, स्कूल आदि के लिए कर्मचारियो की नियुक्ति, वेतनवृद्धि, पदोन्नित, डिमोशन आदि सम्बन्धी कार्यवाही करना।
- संस्था के सदस्य / कर्मचारी के त्याग-पत्र की स्वीकृती के बाद संस्तुति करना।



वरिष्ठ स्रेश्वाक / अन्वेयक कार्यालय डिप्टी रिजिस्ट्रार कर्म, सोसायटील तथा चिटस नेरह

I Priga

8. संस्था के समस्त वाउचरों, अभिलेखों पर हस्ताक्षर करना एवं उनको आवश्यकता पड़ने पर प्रमाणित करना। अध्यक्षं की अनुपस्थिति में वे समस्त कार्य करना जो अध्यक्ष को निहित होते है।

सचिव-

उपाध्यक्ष :-

- संस्था के अभिलेखों का रख-रखाव करना व मीटिंग की कार्यवाही को रिजस्टर में दर्ज कराना, अभिलेख पूर्ण कराना।
- संस्था के अर्न्तगत संचालित स्कूल आदि के संचालन हेतु संमस्त प्रकार की संस्था की और से पत्र व्यवहार करना।

समिति के हित में हित का कार्य भी प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा करना।

संस्था सम्बन्धी किसी भी कार्य को करने से पहलें सचिव की स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा।

सचिव की अनुपस्थिति में सचिव के निर्देशानुसार किसी विशिष्ट कार्य को सम्पन्न करना व वे समस्त कार्य करना जो सचिव को निहित होते है।

 संस्था के कैश से सम्बन्धित सभी अभिलेख तैयार करना।

- संस्था के आय—व्यय की रिर्पोट, बजट तैयार कराकर बैठक में प्रस्तावित करना।
- 3. अध्यक्ष तथा सचिव के द्वारा सौपे गये कार्य करना।

कोषाध्यक्ष-

उपसचिव-

Letto by

सत्य प्रतिमिन्नि प्रीकार

वरिष्ठ रुहार्यक/अन्धिक कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार कर्म, सोसायटीज तथा विटस मेरट 3 Bigg

9mos 14-6-11

11-नियमों में परिर्वतन :-

संस्था के नियमों—विनियमों में संशोधन प्रक्रिया प्रबन्धसमिति के अनुमोदन होने के दस दिन बाद साधारण सभा की बैठक में 2/3 बहुमत पूर्ण होने पर संशोधन/परिर्वतन मान्य होगा।

12-संस्था का कोष :-

संस्था का कोष किसी राष्ट्रीयकृत बैक अथवा डाकघर में संस्था के नाम खाता खोलकर रखा जायेगा, खाते का संचालन अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष के सयुक्त हस्ताक्षरो द्वारा होगा।

13 आय-व्यय का परीक्षण या आडिट :-

संस्था के आय-व्यय का वार्षिक ऑडिट मनोनीत सदस्य द्वारा कराया गया ऑडिट ही मान्य होगा, जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होगा।

14.कानूनी कार्यवाही :--

संस्था की समस्त कानूनी कार्यवाही अध्यक्ष के संचालन में अथवा उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा होगीं।

15.संस्था के अभिलेख :-

सदस्यता रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर कैश-बुक, डाक पंजिका आदि जो आवश्यक हो रखे जायेगें।

L. Horson

सत्य प्रतिनिधि वरिष्ठ सी/क/अन्ववः

कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार कर्म, सोसायटीज तथा चिट्टस मेरा 3. Bigg

16.संस्था का विघटन :--

संस्था का विघटन और सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाईटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 की धारा 13-14 के अर्न्तगत की जायेगीं।

अनुबन्धंक-

- विधालय का पंजीकरण सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण किया जायेगा। 2-
- विधालय के प्रबन्धसमिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगां।
- विधालय में कम से कम 10 प्रतिशत सथान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों 3-के लिये सुरक्षित रहेगे और उनसे उत्त प्रदेश माध्यमिक शिक्षां परिषद / बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विधालयों में विभन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगां।
- संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग नहीं कि जाएगी यदि पूर्व में विधालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विधालय का सम्बद्धता सैन्ट्ल बोर्ड ऑफ सैक ण्डरी एजूकेशन नई दिल्ली / काउन्सिल फार दी इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उक्त परिक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगीं।

संस्था के शिक्षणं तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विधालय के शिक्षण/शिक्षोणत्तर कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानो तथा भत्ते प्राप्त

कर्मचारियों की सेवा शर्ते बनाई जाएगी और उन्हें सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विधालयों के कर्मचारियो को अनुमन्य सेवा निवृत्तिक लाभ उपलब्ध कराये जायेगें।

राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश जो निंगत किये जायेगे संस्था उनका पालन 8-

विधालय का रिकार्ड निधारित प्रपन्न (मंजिकाओं में रखा जायेगा। उत्तर प्रदेष षिक्षा सहित की धारा 105 से 107 के अर्न्तगत विभिन वर्गों के छात्रों को अनुमन्य शुल्क 10-

उक्त शर्तो के किना राज्य सरकार की पूर्वानुमनि के कोई परिर्वतन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया सत्यमेव जबर

05/3/11

सत्यप्रतिलिपि।

L Howhysh
2 Howh
3 Rigg

वरिष्ठ सहा कार्यालय डिप्टी रिजिस्ट्रार कर्म, सोसायटीज तथा विट्स केर